राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सीबी/एमएस/एफ– 2234/2018/ दिनांक :–

–:: आदेश ::–

निम्नांकित कर्मचारियों के द्वारा जी.एन.एम. प्रशिक्षण सत्र 2016–17 में आठ प्रशिक्षणार्थियों के कूटरचित फर्जी दस्तावेज बनाये जाने, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण) श्री श्यामलाल गुर्जर के फर्जी हस्ताक्षर कर संलग्न चिकित्सालय संघ, जोधपुर में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण में प्रवेश दिलाने के मामले में प्रथम दृष्ट्या मिलीभगत में शामिल होना प्रतीत होता है। अतः जांच प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो, इसलिये इन्हें तुरन्त प्रभाव से राज्यसेवा से निलम्बित किया जाना आवश्यक है।

अतः राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–13 (I) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित कर्मचारियों को तुरन्त प्रभाव से राज्यसेवा से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बनकाल में मुख्यालय **संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन बीकानेर** के कार्यालय में रहेगा तथा इन्हें निलम्बनकाल में नियमानुसार वेतन का 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता देय होगा।

क्र0सं0	नाम कर्मचारी मय पद	पदस्थापन स्थान
1.	श्री विजयदत्त शर्मा, वरिष्ठ सहायक	तत्कालीन प्रशिक्षण अनुभाग, मुख्यालय एवं वर्तमान में योजना अनुभाग, मुख्यालय
2.	श्री घनश्याम खण्डेलवाल, वरिष्ठ सहायक	महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर
3.	श्री राहुल, कनिष्ठ सहायक	महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर
4.	श्री राजेश शर्मा, कनिष्ठ सहायक	महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर
5.	श्री अनुराग रोहितवाल, कनिष्ठ सहायक	महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक : सीबी/एमएस/एफ– 2234/2018/1959 दिनांक :– 5/12/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जोधपुर ।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि निलम्बित कार्मिकों द्वारा मुख्यालय पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से अवगत करावें एवं यह सुनिश्चित कर ले कि वे आपकी पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़े तथा नियमित रूप से उपस्थिति अंकित करें।
5. अधीक्षक, महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि क्र0 सं0 2 से 5 पर अंकित निलम्बित कार्मिकों को निलम्बन में मुख्यालय पर उपस्थिति देने हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर सूचित करें, उक्त के अतिरिक्त अपने स्तर से उक्त कार्मिकों की प्रकरण की तत्काल प्राथमिक जांच कर क्र0 सं0 2 से 5 पर अंकित कार्मिकों की जांच रिपोर्ट, परिशिष्ट अ, ब, स, द (संबंधित कार्मिकों के पृथक–पृथक), प्रारूप आरोप पत्रादि एवं संबंधित अभिलेख तथा प्रकरण में दर्ज करायी गयी एफ.आई.आर. की प्रमाणित प्रति तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करें।
6. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में क्र0 सं0 1 पर अंकित कार्मिक की लिप्तता के संबंध में तत्काल प्राथमिक जांच कर जांच रिपोर्ट, परिशिष्ट अ, ब, स, द, प्रारूप आरोप पत्रादि एवं संबंधित अभिलेख अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।
7. संयुक्त निदेशक (योजना), मुख्यालय।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
9. प्रशासनिक अधिकारी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि श्री विजयदत्त शर्मा, वरिष्ठ सहायक का परिशिष्ट "द" तैयार कर तत्काल भिजवावें/डी.पी.सी. अनुभाग, मुख्यालय।
10. संबंधित कर्मचारियों द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
12. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर